डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2024/HQ/Admin/RTI-904 **New Delhi: 13.09.2024**

श्री हुसैन अब्बास
पुत्र मुज़फ्फर हुसैन
गांव व पोस्ट दान्दूपुर
इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश-211008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 07.08.2024, जो इस कार्यालय में CGM/ इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा दिनांक 09.09.2024 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

पत्र सं0– ALD(E)/EN/RTI/71 Vol.-IV

Dated: 07.09.2024
12

Chief Public Information Officer
Corporate Office
New Delhi

Sub: RTI regarding information sought by Hussain Abbas, Village/Post - Dadupur, Tehsil – Karchana, District – Prayagraj.

Ref: प्रार्थी हुसैन अब्बास द्वारा आवेदन दिनांक 07.08.2024.

उपरोक्त सन्दर्भित में प्रार्थी हुसैन अब्बास द्वारा आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत सूचना निम्नवार उपलब्ध करायी जा रही है:–

क्र. सं.	प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना का जवाब
1.	कृपया विभाग द्वारा मेरे आवेदन में आज दिनांक 10.05.2024 तक क्या कार्यवाही हुई है?	प्रार्थी के बोनस के भुगतान का चेक दिनाक 26.11.2014 को हुसैन अब्बास के नाम से चेक सं0 141942 तथा मो0 अब्बास के नाम से चेक सं0 141952 इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था जिसको प्रार्थीगणों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। इस खसरे में अन्य खातेदारों के भुगतान और बोनस पूर्व में हो चुके है।
2.	मेरे आवेदन पत्र अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूर्ण हो जानी चाहिए थी?	प्रत्येक आवेदन पत्र को न्यूनतम समय सीमा में नियमानुसार निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है।
3.	मेरे आवेदन पत्र में उन अधिकारी और कर्मचारियों का नाम तथा पद बतायें, जिन्हें मेरे आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जानी थी जो अभी तक पूर्ण नहीं तथा आपत्ति दर्ज की है?	भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित भूमि अर्जन निकाय व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाती है व सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 (ञ) के तहत यह जानकारी नहीं दी जा सकती।
4.	अपने कार्य में अनियमितता बरतने तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (दिव्यांग) को शोषित करने के लिये उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्या कार्यवाहिया की गयी?	पूर्व में इस प्रकार की कोई आपत्ति फाइलों में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त मांगी गयी सूचना मुख्य महाप्रबन्धक / प्रयागराज / पूर्व के द्वारा अनुमोदित है।

APM/ENGG-VI/DFCCIL
12.09.24

(मनुज सारस्वत)
परियोजना प्रबंधक / इंजी0
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
प्रयागराज (पूर्व)

Copy to: PIO/Corporate Office New Delhi.